FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0090 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/05/2024 18:12 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 29/04/2024 **Date To (दिनांक तक):** 17/05/2024
      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:00 बजे **Time To (समय तक):** 15:08 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/05/2024 **Time (समय):** 17:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/05/2024 18:12:24 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 520 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b)**Address(पता):** POLICE STATION BICHHIWARA

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MAHESH KHARADI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** JAGDISH KHARADI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1997 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	ODHA BADHA, BICHIWARA, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	ODHA BADHA, BICHIWARA, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9116367201

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ROHIT KUMAR		पिता:HIMMAT RAM KATARA	1. VILAGE MALAVI,SAGWARA,DUNGARPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 15,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय , वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 29-04-2024 को समय करीब 1.00 पी.एम. पर ब्यूरो चौकी इन्टें उदयपुर पर परिवादी महेश खराडी पुत्र श्री जगदीश खराडी उम्र 27 वर्ष निवासी ओडा बडा पुलिस थाना बिछीवाडा जिला डूगरपुर उपस्थित होकर स्वयं हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि “मेरा नाम महेश खराडी पुत्र श्री जगदीश खराडी उम्र 27 वर्ष निवासी ओडा बडा पुलिस थाना बिछीवाडा जिला डूगरपुर का रहने वाला हॅू, मैं आमझरा गांव के पास पेट्रोल पम्प वहा से डीजल खरीद कर लाता हू और मेरे गांव में बेचने का काम करता हूं, कुछ दिन पहले डीजल का केस पुलिस थाना बिछीवाडा में हुआ था। जिस मामले मैं दोषी नहीं था फिर भी मुझे थाने पर बुलाया और पुलिस थाने वालो ने काफी धमकाया और मुझसे 15,000 रूपये रिश्वत के रूप में श्री सुनिल जागिड कास्टेबल ने ले लिये थे। उसके बाद मैं मेरे गांव चला गया। आज से एक दो दिन पहले मुझे बिछीवाडा थाने के कास्टेबल श्री रोहित जी मिले और मुझे कहा कि बिछीवाडा थानेदार साहब ने मुझे तेरे से तेल का काम करने के नाम पर 15,000 रूपये हर महीने लेने के लिए कहा है तथा कहा कि पैसे के बारे में सीआई साहब तेरे से बात नहीं करेगे और मेरे से ही आकर मिल लेना। श्रीमान् से निवेदन है कि अब मैं श्री रोहित कास्टेबल को 15,000 रूपये रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हू, और रंगे हाथो पकडवाना चाहता हॅू, मेरी इनमें से किसी से कोई रंजिश या उधार का लेन देन बकाया नहीं है, कानूनी कार्यवाही करवाये” मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री महेश खराड़ी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा शब्द ब शब्द पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी द्वारा सही होना एवं प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं स्वय के हस्ताक्षरित होना स्वीकार किया। परिवादी द्वारा अपनी पहचान के सम्बन्ध में स्वयं का आधार कार्ड कार्ड पेश किया जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी द्वारा बताया कि पुलिस थाना बिछीवाड़ा के कान्सटेबल श्री सुनिल जांगीड़ कान्सटेबल ने मेरे से पूर्व में तेल का जो मामला बिछीवाड़ा थाने पर हुआ जिसमें मैं दोषी नही था तो भी मुझे पुलिस थाना पर बुलाकर डराया धमकाया और मेरे से पन्द्रह हजार रूपये रिश्वत के ले लिये तथा आज से एक दो दिन पहले श्री रोहित कान्सटेबल मेरे पास आया और थानाधिकारी के नाम से हर महिने 15000 रूपये बन्दी के देने को कहा है तथा कहा कि मैं वापस सम्पर्क करूंगा तब ही रूपये लेकर आना। जिस समय करीब 1.25 पी.एम.पर श्री अजयकुमार कान्सटेबल को कार्यालय कक्ष में बुलाया तथा कार्यालय से डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मंगवाकर प्रार्थना पत्र से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने से रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से परिवादी श्री महेश खराड़ी को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाने के सम्बन्ध में कहा गया तो परिवादी महेश खराड़ी ने बताया कि जब भी श्री रोहित कान्सटेबल मेरे से सम्पर्क करेगा उस दिन मैं आपको सूचित कर दूंगा तब ही मांग सत्यापन हेतु डिजिटल टेप रिकॉर्डर देकर श्री अजयकुमार कान्सटेबल को बिछीवाड़ा भिजवा देना। परिवादी श्री महेश खराड़ी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु व बन्द करने की समझाईश की गई तत्पश्चात् श्री अजयकुमार व परिवादी महेश खराड़ी से आपस मै परिचय करवाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता कर लाने हेतु आवश्यक हिदायत दी गई एवं परिवादी श्री महेश खराड़ी एवं कानि श्री अजयकुमार को एक दूसरे के मोबाईल नम्बर दिये गये। कानि. श्री अजयकुमार को पाबन्द किया कि जब भी परिवादी श्री महेश खराड़ी सम्पर्क करे ब्यूरों चौकी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी प्राप्त कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को टेप रिकॉर्डर में दर्ज करे। परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय से रूखसत किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 13-05-2024 को समय करीब 1.40 पी.एम. पर परिवादी श्री महेश खराड़ी द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक से जरिये दूरभाष सम्पर्क कर बताया कि मुझे श्री रोहित कान्सटेबल मिले थे जिन्होने मुझे थाने पर रिश्वत राशि लेकर बुलाया है, आज मांग सत्यापन की बातचीत हो सकती है। जिस मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर के साथ श्री अजयकुमार कान्स्टेबल को बिछीवाड़ा भेजकर सम्पर्क करने हेतु परिवादी को कहा गया तत्पश्चात इस समय कार्यालय में उपस्थित श्री अजयकुमार कान्सटेबल को तलब कर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड के बिछीवाड़ा जाकर श्री महेश खराड़ी परिवादी से सम्पर्क कर मांग सत्यापन की कार्यवाही करने की आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 9.30 पी.एम. पर श्री अजय कुमार कानि मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर पर उपस्थित हुआ और मन् पुलिस निरीक्षक को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुरक्षित सुपुर्द किया गया जिस पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर परिवादी व संदिग्ध श्री रोहित कानि. के मध्य हुई मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो पन्द्रह हजार रूपये थानाधिकारी एवं वृताधिकारी के

नाम पर स्वयं द्वारा रिश्वत राशि मांगने की सत्यापन से पुष्टि हुई। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखा गया तथा परिवादी के पास पन्द्रह हजार रूपये रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था होने पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होना अवगत करवाने हेतु परिवादी द्वारा सूचित करने पर अग्रिम कार्यवाही की जाना प्रस्तावित हुआ तत्पश्चात् दिनांक 16-05-2024 को समय करीब 4.00 पी.एम. पर परिवादी श्री महेश खराड़ी से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा जरिये दूरभाष सम्पर्क किया तो परिवादी श्री महेश खराड़ी ने बताया कि श्री रोहित कान्सटेबल को रिश्वत के रूप में देने वाली राशि पन्द्रह हजार रूपये की व्यवस्था हो गई है तथा आप अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दिनांक 17.05.2024 को बिछीवाड़ा आने पर मैं मिल जाउंगा। चूंकि परिवादी श्री महेश खराडी से हुई वार्ता अनुसार दिनांक 17.05.2024 को अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की दिनांक 17.05.2024 को प्रातः 6.30 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय में तलबी हेतु आज जरिये आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर प्रेषित किया गया तथा कार्यालय में उपस्थित स्टाफ के सदस्यों को प्रातः 6.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया तथा श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एस.यू.) उदयपुर को जरिये दूरभाष वार्ता कर दो कार्मिक को ब्यूरो कार्यालय इन्टे उदयपुर में दिनांक 17.05.2024 को प्रातः 6.00 ए.एम. पर भिजवाने हेतु निवेदन किया गया जिस पर उनके द्वारा श्री प्रदीप कुमार कान्सटेबल नम्बर 169 व श्री दिनेशकुमार कानि. नम्बर 266 को पाबन्द कर भिजवाने हेतु अवगत कराया गया तथा हालात से उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। दिनांक 17-05-2024 को समय करीब 6.00 ए.एम. पर कार्यालय भ्र. नि. ब्यूरो एस.यू. उदयपुर से पाबन्द शुदा कानि. श्री प्रदीप कुमार कान्सटेबल नम्बर 169 व श्री दिनेशकुमार कानि. नम्बर 266 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये तथा कार्यालय स्टाफ भी कार्यालय में उपस्थित आया तथा प्राईवेट वाहन इनोवा नम्बर आर.जे. -27-टी.डी.-5577 मय चालक श्री भूपेन्द्रसिंह उपस्थित आया तत्पश्चात् समय 6.30 ए.एम. पर पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री घनश्याम दादर सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री इन्द्रलाल सांखला कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान, उदयपुर कार्यालय हाजा पर उपस्थित हुये। दोनो स्वतंत्र गवाहान को मन् पुलिस निरीक्षक ने उपरोक्त टे्रप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान के रूप मे उपस्थित रहने हेतु कहने पर दोनो नेे अपनी-अपनी सहमति मौखिक ही व्यक्त की गई तत्पश्चात् परिवादी श्री महेश खराड़ी एवं संदिग्ध श्री रोहित कान्सटेबल के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 13.05.2024 को दोनो गवाहान को सरसरी तौर पर सुनाई गई तो उनके द्वारा भी रिश्वत राशि मांग सत्यापन होने की पुष्टि की गई। उसके बाद अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु परिवादी के बिछीवाड़ा ही मिलने के सम्बन्ध में अवगत करवाया गया। समय 7.15 ए.एम. पर श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक, श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक, श्री अजयकुमार कानि. को निजी प्राईवेट गाड़ी स्कॉर्पियों से आगे-आगे बिछीवाड़ा के लिये रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक डॉ. सोनू शेखावत, दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री घनश्याम दादर व श्री इन्द्रलाल सांखला, श्री दिनेशकुमार कानि. नम्बर 266 मय लेपटोप व प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड एवं श्री प्रदीप कुमार कान्स्टेबल नम्बर 169 के पास फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी रखने हेतु सुपुर्द की जाकर हम सभी आवश्यक सामग्री के जरिये प्राईवेट वाहन इनोवा नम्बर आर.जे.-27-टी.डी.-5577 मय चालक श्री भूपेन्द्रसिंह सहित ब्यूरो कार्यालय इन्टें उदयपुर से बिछीवाड़ा के लिये रवाना हुए। समय 10.15 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के बिछीवाड़ा पुलिया के पास समय 9.50 ए. एम. पर पहुचे तत्पश्चात् परिवादी श्री महेश खराड़ी से सम्पर्क किया गया जो बिछीवाड़ा चौराहा के पास पुलिया के पास मोटरसाईकिल से उपस्थित आया तत्पश्चात् परिवादी श्री महेश खराड़ी को बिछीवाड़ा की ओर जाने वाली सड़क के एक तरफ एकान्त पर हमारे साथ-साथ चलने की हिदायत देकर रवाना किया गया तथा बिछीवाड़ा हाईवे की पुलिया से हम सभी अलग-अलग वाहनों से रवाना होकर बिछीवाड़ा की तरफ जाने वाली सड़क की ओर एक तरफ स्थित मालमाता चौराहे पर पहुॅचे जहां पर परिवादी श्री महेश खराड़ी भी अपनी मोटरसाईकिल से उपस्थित आया। समय 10.25 ए.एम. परिवादी श्री महेश खराड़ी व दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री घनश्याम दादर व श्री इन्द्रलाल सांखला का आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री महेश खराड़ी की रिपोर्ट दिनांक 29-04-24 को दोनो गवाहान के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने शब्द-ब-शब्द सही होना मान रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना जाहिर किया। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा ब्यूरो जाब्ता व दोनो गवाहान एवं परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया तथा की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये तथा दिनांक 13.05.2024 को परिवादी व संदिग्ध श्री रोहित कान्सटेबल के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की समयाभाव होने उक्त वार्ता की फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट अकब से मुर्तिब की जावेगी। समय 10.40 ए.एम. मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री महेश खराडी को दोनो गवाहान के समक्ष संदिग्ध श्री रोहित कुमार कान्सटेबल को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 30 नोट कुल 15,000 हजार रूपये के करेन्सी नोट पेश किये। उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर उपरोक्त सभी नोटो पर श्री प्रदीप भण्डारी कानि. को सुर्पुद की गई फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर उससे प्राईवेट वाहन की सीट पर अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री महेश खराड़ी की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाहन श्री घनश्याम दादर से लिवाई जाकर नोटों को परिवादी श्री महेश खराड़ी की पहने हुए पेन्ट के पिछे की दाहिनी जेब के पर्स में कोई शैः नही छोड़ते हुए रखवाये

गये। तत्पश्चात् श्री अजयकुमार कानि0 से ट्रेप बॉक्स में रखे एक प्लास्टिक की पारदर्शी गिलास निकलवाई जाकर पानी की बोतल से साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल को रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री प्रदीपकुमार कानि की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगे तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री प्रदीपकुमार कानि. से बाहर फिकवाया गया तथा अखबार व डिस्पोजल गिलासों को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री प्रदीपकुमार कानि को सुपुर्द कर वही मुकीम रहने हेतु निर्देशित किया गया। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर हाथ फैरकर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री महेश खराड़ी को डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को टेप करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री प्रदीपकुमार कानि. को हिदायत दी गई कि अग्रिम निर्देश तक मालमाता चौराहा पर मुकिम रहे। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तीब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामील कार्यवाही की गई। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली ग्लास की शीशी चम्मच को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। समय 11.15 ए.एम. पर परिवादी श्री महेश खराड़ी ने दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष बताया कि आज कुछ समय पहले मैंने गोपनीय तरीके से पुलिस थाना बिछीवाड़ा पर पता किया तो श्री रोहित कान्सटेबल थाने पर मौजुद नही था तथा ना ही उसके नम्बर पर फोन लग रहा शायद आस-पास गया होगा इसलिये अभी थाने पर श्री रोहित कान्सटेबल का मिलना सम्भव नही है जिसका इन्तजार करना उचित रहेगा। इस पर परिवादी श्री महेश खराड़ी को बिछीवाड़ा के एक तरफ चलने की हिदायत दी गई तथा मालमाता चौराहा बिछीवाड़ा से मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के अलग-अलग वाहनों से रवाना होकर बिछीवाड़ा के एक तरफ पहुचे जहां परिवादी भी साथ-साथ उपस्थित आया वही पर वाहनों को एक ओर खड़ा करवाकर मुकीम रहे। समय 2.30 पी.एम. पर परिवादी श्री महेश खराड़ी ने दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष बताया कि मैंने मेरे स्तर पर गोपनीय रूप से जानकारी ली तो श्री रोहित कान्सटेबल अभी पुलिस थाना बिछीवाड़ा पर ही उपस्थित है इस पर परिवादी को उसकी निजी मोटरसाईकिल से पुलिस थाना बिछीवाड़ा से पहले रूकने की हिदायत देकर रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के अलग-अलग वाहनों से पुलिस थाना बिछीवाड़ा के लिये रवाना हुए जो समय 2.44 पी.एम. परिवादी श्री महेश खराड़ी पुलिस थाना बिछीवाड़ा से पहले कुछ दूरी पर रूका जहां पर हम सभी परिवादी के पास रूके तथा परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु व बन्द करने की समझाईश देकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालु कर परिवादी को सुपुर्द कर पुलिस थाना बिछीवाड़ा की ओर रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक व दोनो गवाहान तथा स्टाफ के सदस्य भी वाहनों से रवाना परिवादी के पिछे-पिछे होकर पुलिस थाना बिछीवाड़ा के पास खड़े होकर वाहनों को एक साईड में खड़ा कर इर्द-गिर्द खड़े होकर परिवादी के निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। समय 3.08 पी.एम. पर परिवादी श्री महेश खराड़ी ने पुलिस थाना बिछीवाड़ा के बाहर सड़क पर खड़ा होकर अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा करने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो के जाप्ता ने देखकर मन् पुलिस निरीक्षक के साथ परिवादी के पास पहुंचे तो परिवादी ने रिश्वती राशि के लेनदेन के वक्त हुई वार्तालाप जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की, उस डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक को देने पर टेप रिकॉर्डर को बंद कर सुरक्षित हालात में मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास रख लिया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि अभी-अभी श्री रोहित कान्सटेबल ने मेरे से उनकी मांग के अनुसार पन्द्रह हजार रूपये रिश्वत राशि पुलिस थाना बिछीवाड़ा में एक तरफ स्थित कमरे में लिये जो उनके पहने हुए शर्ट की बायी जेब में रख लिये है तथा मुझे कहा कि बाहर किसी को बताना मत तथा दूसरे से भी जो रूपये लिये उसके बारे में भी बातचित की गई उसके बाद मैं वहां से निकलकर बाहर आकर पूर्व निर्धारित ईशारा किया है। इस पर परिवादी के साथ मन् पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो का जाप्ता के साथ पुलिस थाना बिछीवाड़ा के एक तरफ बने कमरे में परिवादी की निशादेही से अंदर पहुंचे तो एक कक्ष में एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जिसकी ओर ईशारा कर परिवादी ने बताया कि यही श्री रोहित कान्सटेबल है जिन्होंने अभी-अभी मेरे से डीजल का काम के लिये हर महिने बन्दी के रूप

थानाधिकारी को देने के नाम से 15000 रूपये रिश्वती राशि मांगकर अपने दोनो हाथों से ग्रहण कर गिनने के बाद अपनी शर्ट की जेब में रखे है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं तथा स्वतंत्र गवाहान तथा टे्प पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपना परिचय पत्र दिखाते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा आरोपी से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री रोहितकुमार पुत्र श्री हिम्मतराम कटारा उम्र 26 वर्ष निवासी गांव मालवी तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर हाल कानि. नम्बर 370 पुलिस थाना बिछीवाड़ा जिला डूंगरपुर होना बताया। इस पर आरोपी श्री रोहितकुमार से पूछा गया कि आपने अभी अभी कुछ समय पूर्व परिवादी से डीजल का काम करने देने के लिये थानाधिकारी के नाम पर मासिक बन्दी के रूप में पन्द्रह हजार रूपये रिश्वत राशि मांगकर ग्रहण की है, के संबंध में पूछने पर आरोपी ने बताया कि गलती हो गई माफ कर दो मैंने इससे रूपये नही लिये है इसने ही मेरे को रूपये लाकर दिये है तथा यह रूपये मैंने स्वयं के लिये ही लिये है। उसके बाद कहा कि ये रूपये तो मैंने उधार लिये है। इस पर परिवादी श्री महेश खराड़ी ने बताया कि यह श्री रोहित कुमार झूठ बोल रहे है इन्होने मेरे को डीजल का काम करने देने के लिये मासिक बन्दी के रूप में 15000 रूपये रिश्वत राशि दिनांक 13.05.2024 को मांग सत्यापन वार्ता के दौरान् तय हुआ जो डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई तथा आज इनकी मांग के मुताबिक 15000 रूपये दिये जो लेकर इन्होने अपने दोनो हाथों से ग्रहण कर गिनकर अपने पहने हुए शर्ट की बांयी जेब में रखे है। जिस पर आरोपी श्री रोहितकुमार चूप रहा। प्रकियानुसार आरोपी श्री रोहितकुमार कान्सटेबल 370 के दोनो हाथों के धोवन लिया जाना वांछित होने से श्री अजयकुमार कान्सटेबल से प्राईवेट वाहन में से टे्प बॉक्स मंगवाया जाकर टे्प बॉक्स में से दो नई प्लास्टिक के पारदर्शी साफ गिलास निकलाकर आरोपी के उक्त कमरे में रखे पानी के मटकी में से उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री रोहित कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से कराये जाकर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री रोहित कुमार के बाये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री मुनीर मोहम्म्द सहायक उप निरीक्षक से कराये जाकर मार्क एल.एच.-1 व एल. एच.-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपस्थितिन के समक्ष आरोपी श्री रोहित कुमार की निशादेही पर उसके पहने हुए शर्ट की उपरी बायी जेब में से रिश्वत राशि गवाह श्री घनश्याम दादर से निकलवाये गये तो 500-500 रूपये के 30 नोट कुल राशि पन्द्रह हजार रूपये बरामद हुए। दोनो गवाह से पूर्व में मूर्तिब की गई फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान करवाया गया तो मिलान हुबहु हुए। उपरोक्त बरामद रिश्वती राशि पर एक सफेद कागज की चिट लगाकर श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से सिलचिट बन्द करा नियमानुसार कब्जे ब्यूरों लिये गये तत्पश्चात् आरोपी श्री रोहितकुमार की शर्ट सहसम्मान उतरवाकर उसे दूसरी शर्ट पहनाकर एक नई प्लास्टिक की पारदर्शी गिलास ट्रेप बॉक्स में से निकालकर उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त घोल में आरोपी श्री रोहितकुमार के शर्ट की बायी जैब को उलटवाकर गिलास के रंगहीन घोल में डूबाया तो घोल का रंग गुलाबी हुआ । जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से कराये जाकर मार्क एस-1 व एस-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री रोहितकुमार की उक्त शर्ट बरंग हल्का गुलाबी की बायी जैब सुखने पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट बंद श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से कराये जाकर मार्क "एस" अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वती राशि के मांग सत्यापन एवं लेनदेन के वक्त परिवादी तथा आरोपी के मध्य जो वार्तालाप रिकॉर्ड की गयी, को उपस्थितिन के समक्ष सुनाई गई तो परिवादी तथा आरोपी ने अपनी-अपनी आवाज होना स्वीकार किया। पुलिस थाना बिछीवाड़ा के साईड में बने उक्त कमरे से रवाना होकर पुलिस थाने में बने सुरक्षित एक कमरे में समय 3.30 पी.एम. पर पहुचे तथा उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 5.00 पी.एम. पर दिनांक 13-05-24 को रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री महेश खराड़ी की वार्तालाप आरोपी श्री रोहितकुमार के मध्य आमने सामने पुलिस थाना बिछीवाड़ा पर हुई, जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को लेपटॉप से कनेक्ट करा चलाकर वार्तालाप की रिश्वत राशि मांग सत्यापन फर्द ट्रान्सक्रीप्ट तैयार पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये थे तत्पश्चात् घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये। समय 7.00 पी.एम. श्री रोहितकुमार के रिहायशी आवास पुलिस थाना बिछीवाड़ा की बैरक में ही होना बताये जाने पर उक्त बैरक खानातलाशी नियमानुसार ली जाकर फर्द खानातलाशी मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री प्रदीपकुमार कानि. जो बिछीवाड़ा स्थित मालमाता चौराहे पर मुकीम था जिसकी पुलिस थाना बिछीवाड़ा तलबी करने पर उपस्थित आया। समय 7.50 पी.एम. पर रिश्वती राशि के

लेनदेन दिनांक 17.05.2024 के दौरान परिवादी श्री महेश खराड़ी की वार्तालाप आरोपी श्री रोहितकुमार कान्सटेबल से हुई, जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में परिवादी के द्वारा रिकोर्ड की गई, उक्त डिजिटल टेप रिकोर्डर को श्री अजयकुमार कान्सटेबल नम्बर 456 से ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा चलाकर वार्तालाप की फर्द ट्रान्सक्रीप्ट श्री अजयकुमार से तैयार करवाई जाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 9.20 पी.एम. पर रिश्वती राशि के मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 13.05.2024 को परिवादी श्री महेश खराड़ी की वार्तालाप आरोपी श्री रोहितकुमार के मध्य आमने सामने पुलिस थाना बिछीवाड़ा पर हुई, जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई तथा दिनांक 17.05.2024 रिश्वती राशि के लेनदेन के दौरान परिवादी श्री महेश खराड़ी की वार्तालाप आरोपी श्री रोहितकुमार कान्सटेबल से हुई, जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में परिवादी के द्वारा रिकोर्ड की गई। पुलिस थाने पर पदस्थापित श्री महेन्द्र पाटीदार कान्सटेबल नम्बर 425 को तलब कर आरोपी श्री रोहितकुमार कान्सटेबल व परिवादी के मध्य मांग सत्यापन व रिश्वत राशि लेन-देन वार्तालाप को सरसरी तौर पर सुनाया गया तो श्री महेन्द्र पाटीदार कान्सटेबल द्वारा उक्त वार्तालाप में श्री रोहितकुमार कान्सटेबल की आवाज होने की पहचान की गई जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की गई जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तत्पश्चात् डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सरकारी लेपटॉप से श्री अजयकुमार कान्सटेबल नम्बर 456 से कनेक्ट करा वार्तालाप की दो पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दूसरी पर डब पेनड्राईव लिखा गया। मूल पेनड्राईव सेनडिस्क 16 जी. बी. को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिटबंद कर मार्क पी अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा समय 9.50 पी.एम. पर पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा डब पेनड्राईव सेनडिस्क 16 जी.बी. को कवर एक सफेद लिफाफे में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। समय 10.00 पी.एम. पर परिवादी श्री महेश खराड़ी तथा आरोपी श्री रोहितकुमार कान्सटेबल के मध्य दिनांक 13.05.2024 को रिश्वती राशि के मांग सत्यापन एवं दिनांक 17.05.2024 को लेनदेन के दौरान हुई वार्तालाप जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई। जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग ग्रे व लाल 16 जी.बी. जिस पर सेनडिस्क अल्ट्रा लिखा हुआ है, को जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार जब्त किया गया। परिवादी श्री महेश खराड़ी को मुनासिब हिदायत देकर रूखसत किया गया। समय 10.15 पी.एम. पर आरोपी श्री रोहितकुमार कान्सटेबल को फर्द गिरफतार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.40 पी.एम. पर जब्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की सिल्ड शिशियां, सिल्डशुदा पेनड्राईव, मेमोरी कार्ड, जब्त शुदा आर्टीकल्स ईत्यादि को टे^aप बॉक्स में सुरक्षित रखवाकर टे^aप बॉक्स एवं लेपटोप, प्रिन्टर को सरकारी वाहन व निजी वाहन में रखवाकर मन पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान, गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री रोहितकुमार एवं ब्यूरो का जाप्ता सहित अलग-अलग वाहनों से पुलिस थाना बिछीवाड़ा से ब्यूरो कार्यालय इन्टें उदयपुर के लिए रवाना होकर दिनांक 18.05.2024 को समय 2.00 ए.एम. (रात्रि) पर पुलिस थाना भूपालपुरा पहुचकर आरोपी श्री रोहितकुमार कान्सटेबल नम्बर 370 को सुरक्षा की दृष्टि से रखने हेतु पुलिस थाना भूपालपुरा में जरिये तहरीर जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर पुलिस थाना भूपालपुरा से रवाना होकर समय 2.15 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय इन्टें उदयपुर पर पहु ॅचकर जब्तशुदा मालखाना आईटम को सुरक्षित कार्यालय के मालखाना में रखने हेतु श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक को निर्देशित किया जाकर दोनों गवाहान एवं श्री प्रदीपकुमार कान्सटेबल व श्री दिनेशकुमार कान्सटेबल को भ्र. नि. ब्यूरो एस.यू. उदयपुर के लिये रूखसत किया गया। दिनांक 18.05.2024 को आरोपी श्री रोहितकुमार कान्सटेबल को पुलिस थाना भूपालपुरा से प्राप्त कर नियमानुसार मेडीकल मुआयना करवाकर जरिये जे.सी. रिमाण्ड फार्म के साथ मन् पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता द्वारा माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर के समक्ष पेश किया जहां से माननीय न्यायालय से आरोपी श्री रोहितकुमार कान्सटेबल को जे.सी. का आदेश प्राप्त होने पर आरोपी को नियमानुसार जे.सी. रिमाण्ड हेतु केन्द्रिय कारागृह उदयपुर को संभलाया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर इस समय ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। इस प्रकार परिवादी महेश खराडी पुत्र श्री जगदीश खराडी उम्र 27 वर्ष निवासी ओडा बडा पुलिस थाना बिछीवाडा जिला डूगरपुर द्वारा बिछीवाड़ा के पास आमझरा गांव के पास पेट्रोल पम्प से डीजल खरीद कर गांव में बेचने का काम करता है तथा कुछ दिन पहले डीजल का केस पुलिस थाना बिछीवाडा में हुआ था जिस मामले परिवादी दोषी नहीं था फिर भी पुलिस थाना बिछीवाड़ा पर बुलाकर पुलिस थाने वालो ने काफी धमकाया और 15,000 रूपये रिश्वत के रूप में श्री सुनिल जागिड कास्टेबल ने ले लिये थे उसके बाद बिछीवाडा थाने के कास्टेबल श्री रोहितकुमार परिवादी से मिला और उससे बिछीवाडा थानेदार साहब के नाम पर तेल (डीजल) का काम करने के नाम पर 15,000 रूपये हर महीने लेने के लिए कहा है तथा कहा कि पैसे के बारे में सीआई साहब तेरे से बात नहीं करेगे और मेरे से ही आकर मिल लेना। जिस पर परिवादी श्री महेश खराड़ी द्वारा दिनांक 29.04.2024 को ब्यूरो कार्यालय इन्टें उदयपुर पर उपस्थित होकर एक स्वयं हस्तलिखित रिपोर्ट श्री रोहितकुमार कान्सटेबल द्वारा 15000 रूपये रिश्वत राशि मांगने सम्बन्धित पेश की गई। उक्त रिपोर्ट अनुसार मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने की

परिवादी को समझाईश की गई जिस पर परिवादी द्वारा मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु पुनः सूचित करने के उपरान्त की जाना प्रस्तावित हुई। परिवादी की सूचना अनुसार दिनांक 13.05.2024 को कानि. अजय कुमार को परिवादी श्री महेश खराडी के पास बिछीवाड़ा भेजा गया जिस पर परिवादी व आरोपी श्री रोहित कुमार कानि. के मध्य हुई वार्ता अनुसार 15,000 रूपये रिश्वत की मांग स्वयं व थानाधिकारी व वृताधिकारी के नाम पर मांगी गई। जिस पर दौराने टे्रप कार्यवाही दिनांक 17.05.2024 को आरोपी श्री रोहित कुमार कानि. द्वारा परिवादी महेश खराड़ी से 15,000 रूपये रिश्वत राशि अपने हाथों से ग्रहण उसके पहने हुए शर्ट की उपरी बायी जैब में रखे जहां से दौराने् कार्यवाही बरामद कर सिलचिट कर कब्जे ब्यूरो ली गई तथा आरोपी श्री रोहित कुमार के दोनों हाथों व पहनी हुई शर्ट की बायी जेब का नियमानुसार धोवन लिया जाकर सेम्पल सिलचिट बन्द कर कब्जे ब्यूरो लिये गये। टे्रप कार्यवाही के दौरान ही आरोपी को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार आरोपी श्री रोहितकुमार पुत्र श्री हिम्मतराम कटारा उम्र 26 वर्ष निवासी गांव मालवी तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर हाल कानि. नम्बर 370 पुलिस थाना बिछीवाड़ा जिला डूंगरपुर को परिवादी श्री महेश खराडी को डीजल बेचने के काम में कोई रोक टोक नहीं करने एवं थानाधिकारी एवं वृताधिकारी बिछीवाड़ा जिला डूंगरपुर के नाम पर मासिक बन्दी के रूप में 15,000 रूपये रिश्वत की मांगकर ग्रहण करना जुर्म धारा अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशेाधित-2018) प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित गया तथा रिश्वत राशि थानाधिकारी एवं वृताधिकारी बिछीवाड़ा जिला डूंगरपुर के नाम से लिये जाने का मांग सत्यापन वार्ता अनुसार उक्त की भूमिका की जॉंच अनुसन्धान से स्पष्ट होगी, बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें साद्र प्रेषित की जाएगी। भवदीय, (डॉ. सोनू शेखावत) पुलिस निरीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो इन्टें, उदयपुर।.........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ शोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ईन्टे. उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रोहित कुमार पुत्र श्री हिम्मतराम कटारा, निवासी गांव मालवी तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर हाल कानि. नम्बर 370 पुलिस थाना बिछीवाड़ा जिला डूंगरपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री रतनसिंह राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 282 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 448-51 दिनांक 18.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2 पुलिस अधीक्षक, जिला डूंगरपुर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ईन्टे. उदयपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Ratan Singh Rajpurohit **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 18/05/2024 18:14:26

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	28/11/1996				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)